प्रकरण संख्या 65/2016 गंगाराम बनाम हरिराम

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.10.2018	वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा समायत शुदा बहस व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा को दिनांक 28.07.2014 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर उप तहसीलदार मावली को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की, जिसकी पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट द्वारा आपत्ति किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.07.2015 की आदेशिका अनुसार तहसीलदार मावली को पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के लिए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया, जिसकी पालना में भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा पक्षकारान को दिनांक 16.12.2015 के लिए नोटिस जारी किये गये तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 12.04.2016 को पुनः विस्तृत आपत्तियां प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि यह पालना रिपोर्ट राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार को कमिश्नर नियुक्त किया था, जबकि तहसीलदार द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक को निर्देशित कर दिया। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए मात्र वादी को लाभ पहुंचाने की नियत से केवल वादी का ही बंटवाड़ा कर दिया। बंटवारा रिपोर्ट देखने से ही स्पष्ट है कि वादी की जितनी जमीन बनती है पूरा रकबा उसके हिस्से में रख दिया गया, जबकि प्रार्थी/प्रतिवादी के हिस्से में 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि ही रखी गयी तथा रास्ते की जमीन प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों के हिस्से से कम कर दी गयी। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा पूर्व में जो बंटवारा किया गया, उसमें प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के हिस्से में 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि रखी गयी, जबकि दूसरी बार में 3 बीघा 2 बिस्वा ही रखी गयी। इसी प्रकार अन्य आपत्यिां भी प्रस्तुत की गयी, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, जबकि प्रत्येक आपत्ति पर निर्णय किया जाना चाहिए था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है कि तहसीलदार जिन्हें विभाजन की शक्तियां	

प्रकरण संख्या 65/2016 गंगाराम बनाम हरिराम

प्रत्यायोजित की गयी थी, उन्हें पुनः भू–अभिलेख निरीक्षक को शक्तियां प्रत्यायोजित करने का अधिकार नहीं है। इस सन्दर्भ में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व के विभाजन नियमों की पालना नहीं की गयी। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 08.06.2016 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत समस्त आपत्तियों का निस्तारण विधिक रूप से करें तथा तहसीलदार के स्तर से ही विभाजन प्रस्ताव उभयपक्षों की उपस्थिति में/सूचित कर मंगवाया जाकर आपत्तियों का विधिक निस्तारण कर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 24.12.2018 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 65/2016 गंगाराम बनाम हरिराम

प्रकरण संख्या 65/2016 गंगाराम बनाम हरिराम